छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
-0-

आदेश

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29-12-2025

क्रमांक **ESTB-1024/1126/2025/38-1** :: डॉ. एस.एस. तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, लोहारकोट महासमुन्द द्वारा पी.एम. उषा मद से आबंटित की गई राशि में गड़बड़ी, जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्तता प्रथम दृष्टया पायी गई है। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2025 के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

2/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एस.एस. तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, लोहारकोट महासमुन्द को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, कार्यालय रायपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

5/ इस संबंध में विभागीय जांच की प्रक्रिया पृथक से की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Dhananjay Netam
Date: 29-12-2025
18:47:37

(धनंजय नेताम)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. **ESTB-1024/1126/2025/38-1** नवा रायपुर अटल नगर, दि. 29-12-2025

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

02. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
04. कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
06. क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.)
07. संबंधित डॉ. एस.एस. तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, लोहारकोट जिला-महासमुन्द

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
08. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
Dhananjay Netam
Date: 29-12-2025
18:50:01

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग